U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy la[;k % 151@2011

vihykUVl	बनाम	**jLiksUMsUVl**
रामूराम पुत्र श्री बगताराम उम्र 55 वर्ष जाति विश्नाई निवासी माणकी तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।		1. रिडमलराम पुत्र बगतराम उम्र 55 वर्ष 2. भारताराम पुत्र फगलूराम उम्र 58 वर्ष 3. मगंलाराम पुत्र फगलूराम उम्र 53वर्ष 4. बींजाराम पुत्र फगलूराम उम्र 45वर्ष 5. पांचाराम पुत्र फगलूराम उम्र 41वर्ष 6. नूनूदेवी पत्नि फगलूराम उम्र 70वर्ष 7. जैती पत्नि सोनाराम उम्र 60वर्ष 8. सुरेन्द्र पुत्र किशनाराम उम्र 22 वर्ष 9. पालू पत्नी किशनाराम उम्र 40 वर्ष 10. भूराराम पुत्र वगताराम उम्र 63 वर्ष जति विश्नोई निवासी माणकी तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर । 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुडामालानी जिला बाडमेर।

<u>vihy vUrxZr /kkjk 76 jkt0 Hkw jktLo vf/kfu;e 1956 fo:)</u>

<u>vkns'k</u> दिनांक 28.7.2011 जो राजस्व अपील संख्या 10/2010/1995 अनवान रामूराम बनाम रिडमलराम वगैरा मे जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर द्वारा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किये गये म्युटेशन संख्या 95 आदेश दिनांक 27.4.2010 की पुष्टि की गई।

mifLFkfr%&

1. श्री लादूराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. सभी रेस्पोडेंट नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित है।

fu.kZ;

दिनांकः– 6.11.2018

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट रिडमल ने एक राजस्व वाद संख्या 318/08 सहायक कलेक्टर, गुडामालानी के न्यायालय मे पेश किया, जो निर्ण दिनांक 22.4.2010 द्वारा वादी का विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 27.4. 2010 द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट ने एक प्रथम अपील जिला कलेक्टर, बाडमेर के समक्ष पेश की। जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 28.7.2011 के द्वारा अपीलान्ट की अपील खारीज की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट बावजूद नोटिस तामील के लगातार अनुपस्थित है। अतः हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि सहायक कलेक्टर द्वारा वाद संख्या 318/08मे पारित निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 22.4.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय मे अपील पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.4.2011 को रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 29.4.2011 को तहसीलदार, गुडामालानी को रूप मे सुपुर्द कर दी थी, उस समय नामान्तरकरण संख्या 95 पारित नही हुआ था। तहसीलदार, गुडामालानी ने पिछली दिनांक 27.4.2011 मे नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था तथा अपील होने की अवधि का इन्तजार करना चाहिये था। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जो आपत्तियां प्रस्तुत की है उन्हे मान भी लिया जाये तो भी डिक्री आदेश की अनुपालना मे स्वीकृत नामान्तरकरण मे तब तक हस्तक्षेप नही किया जा सकता है जब तक कि पारित डिक्री को निरस्त नही कर दिया जाता है। अपीलान्ट डिक्री के संबंध मे सक्षम अपील न्यायालय मे अनुतोष प्राप्त कर सकते है। उक्त विधिक तथ्य को मध्यनजर रखते अधीनस्थ प्रथम अपील न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है व न्यायोचित है, जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.7.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 6.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ yfyr dekj xIrk ½
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर